

न्यायालय नायब तहसीलदार पी.एन.वा. (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का झालरा

बनाम

अप्रार्थी :- श्री सुवाराय रामप्रसाद शंकरलाल वासी झालरा अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956 व सुपरमर्जर अधिनियम

प्रकरण संख्या 23/2018

निर्णय


दिनांक 29.5.18

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का झालरा में अप्रार्थी के विरुद्ध टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2017 में सरहद झालरा के खसरा नम्बर 232 मी. किरम गि.डि. में रकबा 0.01 हे. बीघा भूमि में लगा कर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी से नोटिस तामिल होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री — ने दिनांक — को उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातो एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी का भूजा झालरा के खसरा नम्बर 232 किरम में रकबा 0.01 हे. बीघा की भूमि पर अतिक्रमण किया जाना वर्तमान में सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 6 रुपये प्रति बीघा की दर से अतिक्रमित रकबा 0.01 हे. बीघा भूमि के 0.06 रुपये लगान का 50 गुणा 3.00 /- अक्षरे ती.न. रुपये दत्तों जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 29.5.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


नायब तहसीलदार पी.एन.वा.